दिनांक 16.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 18/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–02

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 15.07.2024 को थाना फेस–02 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फेस–02 पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–02 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय निवासी ग्राम मरी थाना बेन जनपद नालन्दा, बिहार।

जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 15.07.2024 की रात्रि थाना हसनपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामपुर भूड के रास्ते पर मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मनोज घायल हो गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये । गिरफ्तारी के क्रम में फरार अभियुक्त 2–रोहित 3–अनिल को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मनोज के विरूद्ध जनपद अमरोहा, हापुड़ के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हसनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मनोज निवासी मोहल्ला पूंठ रोड कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

2—रोहित निवासी मोहल्ला होलीवाला कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

3—अनिल निवासी चकोरी रोड झकडी अड्डा कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद मऊ/थाना मुहम्मदाबाद</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 16.07.2024 को थाना मुहम्मदाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तिलसवां भट्टा मोड़ नहर पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अजीत घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध हत्या का प्रयास, हत्या, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अजीत निवासी ताहिरपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना सिहानी गेट</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 लाख 05 हजार रूपये नगद।**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 दो पहिया वाहन**
- **चोरी करने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 15.07.2024 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हमदर्द मैदान तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1—मोहर्रम अली उर्फ हसन अब्बास उर्फ रियान हसन 2—शेख शरीफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 05 लाख 05 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, चोरी की 01 दो पहिया वाहन, चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना सिहानीगेट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, दो पहिया वाहन आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहर्रम अली उर्फ हसन अब्बास उर्फ रियान हसन निवासी मो0चकली थाना कोतवाली जनपद अमरोहा, हालपता राहुल विहार सेकेण्ड, प्रताप विहार थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—शेख शरीफ निवासी लालटेन फैक्ट्री कैला भट्टा थाना कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—05 लाख 05 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

3—01 मोबाइल फोन।

4—चोरी की 01 दो पहिया वाहन।

5—चोरी करने के उपकरण आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना जेवर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 15.07.2024 को थाना जेवर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौरोली अण्डरपास से 03 अभियुक्तों 1—यशवीर 2—धर्मेन्द्र उर्फ लाला 3—टिंकू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली, हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के लगभग आधा—आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जेवर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–यशवीर निवासी भोल्डा थाना बागपुर जनपद पलवल, हरियाणा।

2–धर्मेन्द्र उर्फ लाला निवासी भोल्डा थाना बागपुर जनपद पलवल, हरियाणा।

3–टिंकू निवासी भोल्डा थाना बागपुर जनपद पलवल, हरियाणा।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

- **जनपद बांदा/थाना नरैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना नरैनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त देशराज को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सहारनपुर/थाना जनकपुरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना जनकपुरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376/511 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मांगेराम को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सहारनपुर/थाना ननौता (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना ननौता पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विवेक कुमार 2–उदेश कुमार को आजीवन कारावास व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कुशीनगर/थाना तुर्कपट्टी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 33 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/376/457/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आजाद अंसारी को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 33 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना बांसडीह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बांसडीह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पिन्टू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 436/2023 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी तबरेज मुम्बई से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 16–07–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 436/2023 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी तबरेज को धारावी बस स्टैण्ड महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1– तबरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर नि0 मुडियार, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़। वर्तमान पता रूम नं0 95–47 ग्राउण्ड फ्लोर मदीना चावल संत रोहिदास मार्ग, मुकुन्द नगर, मुम्बई।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

धारावी बस डिपो के बगल में राजीव गॉधी नगर, थाना धारावी, बान्द्रा मुम्बई। दिनांक 15–07–2024 समय 23.40 बजे रात्रि।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 436/2023 धारा 3 (1) गैगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी तबरेज मुम्बई में रहता है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री आशुतोष त्रिपाठी के नेतृत्व में मु0आ0 विनोद कुमार सिंह, दिलीप कुमार, राजेश, कुलदीप सिंह मुकेश प्रजापति मु0आ0 चालक सुरेश सिंह की एक टीम मुम्बई, महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई और तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 16–07–2024 को एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर अभियुक्त तबरेज को समय करीब 23.40 बजे धारावी बस डिपो के बगल में राजीव गॉधी नगर, थाना धारावी, मुम्बई से गिरफ्तार कर कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को थाना धारावी, जनपद बान्द्रा मुम्बई में दाखिल करके दिनांक 16–07–2024 को माननीय न्यायालय जे0एम0एफ0सी0–12 बान्द्रा के समक्ष पेश कर 04 दिवस का ट्राजिंस्ट रिमाण्ड प्राप्त किया गया, तदोपरान्त अभियुक्त को उक्त अभियोग में दाखिल करने हेतु लाया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त तबरेज ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक गिरोह है, जो पिछले कई वर्षो से गाड़ियों की चोरी करता है। यह गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर गाड़ियॉ चुराता था और कुछ दिन बाद उसे लोगों को बेच देता था। दिनांक 06–09–2022 को अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर बोलेरो गाड़ी चोरी किया था। उसी बोलेरो से यह लोग कही जा रहे थे तब तक स्थानीय पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल भेज दिया गया था। जेल से छूटने के बाद यह मुम्बई चला गया और वहॉ पर ओला गाड़ी चलाता था।

<u>अभियुक्त तबरेज का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत है-</u>

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	78/2016	174ए भादवि	फूलपुर	आजमगढ
2	295/2015	147, 323, 325, 504 भादवि व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट	फूलपुर	आजमगढ
3	306/2015	147, 149, 392, 427, 452, 506 भादवि व 3(1)(10)एससी/एसटी एक्ट	फूलपुर	आजमगढ

4	155/2018	363, 366, 376 भादवि व 3,4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधि0	फूलपुर	आजमगढ
5	30/2018	379 भादवि	टाडा	अम्बेडकरनगर
6	15/2018	379 भादवि	हंसवर	अम्बेडकरनगर
7	182/2015	4/25 आर्म्स एक्ट व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु कूरता अधि0	मालीपुर	अम्बेडकरनगर
8	57/2020	307, 333, 336, 393, 427, 506 भादवि व 7 दण्ड विधि(संशोधन) अधि0	पुरानी बस्ती	बस्ती
9	188/2021	3(1)यूपी गैंगेस्टर एक्ट	पुरानी बस्ती	बस्ती
10	118/2022	174ए भादवि	पुरानी बस्ती	बस्ती
11	26/2020	41/411 भादवि	सिकरीगंज	गोरखपुर
12	27/2020	307 भादवि	सिकरीगंज	गोरखपुर
13	33/2020	147, 323, 379, 506, 511 भादवि	बेलघाट	गोरखपुर
14	449/2020	3(1)यूपी गैंगेस्टर एक्ट	सिकरीगंज	गोरखपुर
15	144/2020	147,336,379,411 भादवि	धनघटा	संतकबीरनगर
16	145/2020	147,336,380411 भादवि	धनघटा	संतकबीरनगर
17	146/2020	147,148,149,323,325,336,504,506	धनघटा	संतकबीरनगर
18	289/2022	379 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
19	315/2022	307, 411, 414, 473 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
20	436/2023	3 (1) गैगेस्टर एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

———————